न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 722/दावा/2016
दायरा दि0 26/07/2016

उनवान

छीतरनाथ पिता श्योजीनाथ जाति नाथ निवासी ढाणी तह0 खानपुर

—— वादी

बनाम्

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड़

—— प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री गिरधारीलाल नागर अधिवक्ता – वादी

निर्णय

दिनांक 16/04/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम बोसर तह0 खानपुर की जमाबंदी सं0 2072–75 की खतौनी सं0 18 की ख0नं0 174/230 रकबा 1.04 बीघा, ख0नं0 175/236 रकबा 1.15 बीघा, ख0नं0 176/239 रकबा 4.02 बीघा, ख0नं0 177 रकबा 1.00 बीघा कुल 4 किता रकबा 8.01 बीघा एवं खतौनी सं0 19 की ख0नं0 176 रकबा 2.07 बीघा आराजी आराजी कस्तूरीबाई बेवा श्योजी नाथ के खाते दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम शिवनगर उर्फ ढाणी की जमाबंदी सं0 2070–73 की खतौनी सं0 14 की ख0नं0 139 की 0.04 बीघा आराजी भी कस्तूरीबाई बेवा श्योजी नाथ के खाते दर्ज है। वादी को खातेदार कस्तूरीबाई और उसके पति श्योजीनाथ के द्वारा दो वर्ष की आयु में गोद लिया था, तब से लेकर आज तक वादी कस्तूरीबाई व श्योजीनाथ का दत्तक पुत्र बनकर कस्तूरीबाई व श्योजीनाथ की सेवा करता आ रहा हे। श्योजीनाथ की मृत्यु सन् 1996 में हो चुकी है, जिसका समस्त कियाकर्म वादी द्वारा किया गया और खातेदार कस्तूरीबाई की भी मृत्यु दि0 08.05.2009 को हो चुकी है, जिसका समस्त कियाकर्म पुत्र के रूप में वादी द्वारा किया गया है और जब से वादी सोचने समझने लगा तब से उक्त आराजी को स्वंय ही काश्त करता आ रहा है। वादी की शादी भी कस्तूरीबाई व श्योजीनाथ द्वारा करवायी गयी है। वादी व वादी की पत्नि द्वारा ही दत्तक ग्रहिता माता–पिता की जीवन पर्यन्त सेवा की है। मृतक खातेदार कस्तूरीबाई द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादी की सेवा से प्रसन्न होकर दिनांक 16.08.1999 में वादी के पक्ष में एक ग्राम शिवनगर उर्फ ढाणी की ख0नं0 139 की 0.04 बीघा, ग्राम बोसर की ख0नं0 174/230 रकबा 1.04 बीघा, ख0नं0 175/236 रकबा 1.15 बीघा, ख0नं0 176/239 रकबा 4.02 बीघा, ख0नं0 177 रकबा 1.00 बीघा कुल 4 किता रकबा 8.01 बीघा एवं ख0नं0 176 रकबा 2.07 बीघा आराजी का वसीयतनामा खानपुर आकर तस्दीक करवाया, जिसमें उक्त आराजी सहित अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति की वादी के नाम वसीयत करवायी गई। वादग्रस्त आराजी खातेदार की स्वअर्जित सम्पत्ति होने से उसको वसीयत करने का पूर्ण अधिकार है। मृतक खातेदार के जीवित व मृत कोई वारिस नहीं है। वादी ही एक मात्र दत्तक पुत्र होने से व वादी की सेवा से प्रसन्न होकर उक्त वसीयत वादी के पक्ष में की गई और वसीयत को दो गवाहों के समक्ष नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर और गवाह के समक्ष हस्ताक्षरित की गई। वसीयत पर गवाहान के रूप में अर्जुनराम रेवारी, जगदीशप्रसाद रेवारी निवासी शिवनगर ढाणी के हस्ताक्षर है। वसीयतकर्ता व खातेदार कस्तूरीबाई की मृत्यु दिनांक 08.05.2009 को हो गयी है। ऐसे में उनकी अंतिम इच्छा पत्र के अनुसार उक्त आराजी का वादी खातेदार टीनेंट घोषित होने का अधिकारी है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी का

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि वादी को ग्राम शिवनगर उर्फ ढाणी की ख0नं0 139 की 0.04 बीघा, ग्राम बोसर की ख0नं0 174/230 रकबा 1.04 बीघा, ख0नं0 175/236 रकबा 1.15 बीघा, ख0नं0 176/239 रकबा 4.02 बीघा, ख0नं0 177 रकबा 1.00 बीघा कुल 4 किता रकबा 8.01 बीघा एवं ख0नं0 176 रकबा 2.07 बीघा आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाकर मृतक खातेदार कस्तूरीबाई का नाम खाते से खारिज किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाबदावा पेश किया कि वसीयत की जांच के बाद ही वादग्रस्त आराजी के संबंध में निर्णय किया जाना चाहिये। तत्पश्चात वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जवाबदावा के आधार पर निम्नप्रकार तनकीयात कायम की गयी :–

1. आया ग्राम बोसर की जमाबंदी सं0 2072–75 की खाता सं0 18 की 2 किता की 8.01 बीघा, खाता सं0 19 की 2.07 बीघा व ग्राम शिवनगर उर्फ ढाणी की जमाबंदी सं0 2070–73 की खाता सं0 14 की 0.04 बीघा आराजी कस्तूरीबाई नाथ के खाते की है ?
— वादी
2. आया खातेदार कस्तूरीबाई एवं उनके पति श्योजीनाथ ने 2 वर्ष की उम्र में वादी को गोद लेकर दत्तक पुत्र बनाया था। श्योजीनाथ व कस्तूरीबाई का देहान्त हो चुका है ?
— वादी
3. आया खातेदार कस्तूरीबाई ने अपने जीवनकाल में वादी की सेवा से प्रसन्न होकर दि0 16.08.1999 को अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी के नाम करवाई थी ? ऐसे में वादी वसीयत मुताबिक वादग्रस्त आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित होने का अधिकारी है ?
— वादी
4. आया वसीयत की जांच के बाद ही वादग्रस्त आराजी के संबंध में निर्णय किया जाना चाहिये ?
— प्रतिवादी

अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादी छीतरनाथ Pw1, गवाहान जगदीशप्रसाद रेवारी Pw2, अर्जुनराम रेवारी Pw3 के बयान दर्ज कराये गये तथा दस्तावेज नकल जमाबंदी ग्राम बोसर सं0 2072–75 खाता सं0 18 Exp1, नकल जमाबंदी ग्राम बोसर सं0 2072–75 खाता सं0 19 Exp2, नकल जमाबंदी ग्राम शिवनगरढाणी सं0 2070–73 खाता सं0 14 Exp3, वसीयतनामा दिनांक 16.08.1999 वसीयतकर्ता कस्तूरीबाई बेवा श्योजीनाथ Exp4, प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत शिवनगरढाणी दिनांक 08.06.2000 Exp5, नकल जमाबंदी ग्राम बोसर सं0 2056–59 खाता सं0 90 Exp6, मृत्यु प्रमाण–पत्र कस्तूरीबाई दिनांक 16.04.2015 Exp7 प्रदर्श कराये गये। पेरोकार सरकार द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात साक्ष्य बंद की जाकर विद्वान अधिवक्ता वादी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादी को खातेदार कस्तूरीबाई व उनके पति श्योजीनाथ ने दो वर्ष की उम्र में गोद लिया था। वादी का विवाह भी कस्तूरीबाई व उनके पति द्वारा ही किया गया है। वादी ने कस्तूरीबाई व उनके पति श्योजीनाथ की पुत्र के रूप में सेवा की है। वादी की सेवा से प्रसन्न होकर खातेदार कस्तूरीबाई ने अपने खाते की ग्राम बोसर की कुल 4 किता की 8.01 बीघा एवं खतौनी सं0 19 की ख0नं0 176 रकबा 2.07 बीघा व ग्राम शिवनगर उर्फ ढाणी की ख0नं0 139 की 0.04 बीघा आराजी सहित समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 16.08.1999 को आलेखित कराकर दो गहवान के समक्ष नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करायी है। खातेदार कस्तूरीबाई का दि0 08.05.2009 को देहान्त हो गया है। खातेदार कस्तूरीबाई व उनके पति श्योजीनाथ का वादी के अलावा कोई जीवित व मृत उत्तराधिकारी नहीं है। वादग्रस्त आराजी वादी की स्वअर्जित सम्पत्ति है। हमने वसीयतनामा व

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

राजस्व रेकार्ड की नकलें पेश की है। साथ ही वसीयत के गवाहान गवाहान जगदीशप्रसाद रेवारी Pw2, अर्जुनराम रेवारी Pw3 के बयान दर्ज कराये हैं, जिनसे हमारा दावा साबित होता है। अतः हमारा दावा डिक्री किया जाकर हमें वादग्रस्त आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रकट किया कि वादी द्वारा अपने दावे को रेकार्ड में मौखिक साक्ष्य से साबित किये जाने के बाद, बाद का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। तनकीवार निर्णय निम्नप्रकार पारित किया जाता है :–

1. आया ग्राम बोसर की जमाबंदी सं0 2072–75 की खाता सं0 18 की 2 किता की 8.01 बीघा, खाता सं0 19 की 2.07 बीघा व ग्राम शिवनगर उर्फ ढाणी की जमाबंदी सं0 2070–73 की खाता सं0 14 की 0.04 बीघा आराजी कस्तूरीबाई नाथ के खाते की है ?

— वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। नकल जमाबंदी ग्राम बोसर सं0 2072–75 खाता सं0 18 Exp1, नकल जमाबंदी ग्राम बोसर सं0 2072–75 खाता सं0 19 Exp2, नकल जमाबंदी ग्राम शिवनगरढाणी सं0 2070–73 खाता सं0 14 Exp3, के अनुसार ग्राम बोसर की खाता सं0 18 की 2 किता की 8.01 बीघा, खाता सं0 19 की 2.07 बीघा व ग्राम शिवनगर उर्फ ढाणी की खाता सं0 14 की 0.04 बीघा वादग्रस्त आराजियात कस्तूरीबाई बेवा श्योजीनाथ कौम नाथ निवासी ढाणी के खाते की होना साबित है। ऐसे में यह तनकी वादी के पक्ष में एवं खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

2. आया खातेदार कस्तूरीबाई एवं उनके पति श्योजीनाथ ने 2 वर्ष की उम्र में वादी को गोद लेकर दत्तक पुत्र बनाया था। श्योजीनाथ व कस्तूरीबाई का देहान्त हो चुका है ?

— वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने बाद में आलेखित किया है कि खातेदार कस्तूरीबाई एवं उनके पति श्योजीनाथ ने 2 वर्ष की उम्र में वादी को गोद लेकर दत्तक पुत्र बनाया था। श्योजीनाथ व कस्तूरीबाई का देहान्त हो चुका है। दस्तावेज Exp4 कस्तूरीबाई बेवा श्योजीनाथ द्वारा दिनांक 16.08.1999 को निष्पादित वसीयतनामा है, जिसे नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक किया गया है। इस वसीयतनामा में कस्तूरीबाई ने आलेखित कराया है कि "मेरे पति श्री श्योजीनाथ का अर्सा तीन वर्ष पूर्व दिनांक 25.05.96 को स्वर्गवास हो गया है। मेरे पति श्री श्योजीनाथ ला–औलाद फौत हुये है। हमारे कोई पुत्र–पुत्री नहीं है। मेरे पति श्री श्योजीनाथ ने अपने जीवनकाल में ही छोटे भाई (मेरे देवर) श्री बापूनाथ के पुत्र छीतरनाथ को गोद रखा था। श्री बापूनाथ ने जब जाति समाज के सामने छीतरनाथ को हमारी गोद में बिठाया था, तब ही हमने छीतरनाथ को गोद पुत्र स्वीकार कर समाज व गांव में नारियल बंटवाये थे। उस समय छीतरनाथ मात्र 2 वर्ष का था, जब से मैंने ही उसका पालन–पोषण किया है " इस वसीयत के गवाहान जगदीशप्रसाद रेवारी Pw2, अर्जुनराम रेवारी Pw3 ने अपने बयानों में कस्तूरीबाई द्वारा वसीयत उनके सामने आलेखित कराना, वसीयत पर कस्तूरीबाई द्वारा अँगूठा–निशानी लगाना व नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराना, साथ ही वसीयत पर गवाहान के रूप में अपने हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। इस प्रकार खातेदार कस्तूरीबाई एवं उनके पति श्योजीनाथ द्वारा 2 वर्ष की उम्र में वादी को गोद लेकर दत्तक पुत्र बनाया जाना साबित है। दस्तावेज Exp5 प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत शिवनगरढाणी दिनांक 08.06.2000 व Exp7 मृत्यु प्रमाण–पत्र कस्तूरीबाई दिनांक 16.04.2015 से श्योजीनाथ व कस्तूरीबाई का देहान्त होना भी साबित होता है। इस प्रकार वादी ने इस तनकी को वसूबी साबित कराया है। ऐसे में यह तनकी वादी के पक्ष में एवं खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

3. आया खातेदार कस्तूरीबाई ने अपने जीवनकाल में वादी की सेवा से प्रसन्न होकर दि0 16.08.1999 को अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी के नाम करवाई थी ? ऐसे में वादी वसीयत मुताबिक वादग्रस्त आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित होने का अधिकारी है ?

— वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। दस्तावेज Exp4 कस्तूरीबाई बेवा श्योजीनाथ द्वारा दिनांक 16.08.1999 को दो गवाहान जगदीशप्रसाद रेवारी व अर्जुनराम रेवारी के सामने निष्पादित वसीयतनामा है, जिसे नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक किया गया है। इस दस्तावेज में कस्तूरीबाई बेवा श्योजीनाथ जाति नाथ निवासी ढाणी द्वारा अपने खाते की ग्राम शिवनगरढाणी की खतौनी सं0 79 की ख0नं0 139 की 0.04 बीघा, ग्राम बोसर की खतौनी सं0 89 की ख0नं0 177 की 1.00 बीघा, ख0नं0 230/174 की 1.04 बीघा, ख0नं0 236/175 की 1.15 बीघा, ख0नं0 239/176 की 4.02 बीघा कुल 4 किता की 8.01 बीघा व ग्राम बोसर की खतौनी सं0 101 की ख0नं0 176 की 2.07 बीघा कृषि भूमि एवं ग्राम शिवनगरढाणी में स्थित एक कच्चा कवेलू पोश मकान, एक बैल–गाड़ी, 2 बैल, 2 गाय, 1 केरडी, 1 बकरी, 1 पानी का इंजन पम्प, कपड़े, जेवर आदि स्वअर्जित सम्पत्ति की वसीयत दि0 16.08.199 को अपने गोदपुत्र छीतरनाथ के पक्ष में की गयी है। रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु ग्राम पंचायत शिवनगरढाणी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 16.04.2015 जो Exp7 है, के अनुसार वसीयतकर्ता कस्तूरीबाई बेवा श्योजीनाथ की मृत्यु हो चुकी है। इस वसीयत के गवाहान जगदीशप्रसाद रेवारी Pw2, अर्जुनराम रेवारी Pw3 ने अपने बयानों में वसीयत उनके सामने कस्तूरीबाई द्वारा आलेखित कराना, वसीयत पर कस्तूरीबाई द्वारा अँगूठा–निशानी लगाना व नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराना, साथ ही वसीयत पर गवाहान के रूप में अपने हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। Exp6 दस्तावेज नकल जमाबंदी सं0 2056–59 ग्राम बोसर की खाता 90 है, जिसमें वादग्रस्त आराजी 4 किता की 8.01 बीघा आराजी शौजीनाथ पुत्र गुलाबनाथ जाति नाथ निवासी ढाणी के खाते दर्ज है तथा श्योजीनाथ की मृत्यु के बाद यह आराजी नामा0सं0 218 दि0 19.06.199 से उसकी विधवा कस्तूरीबाई के खाते आयी है। चूँकि वादग्रस्त आराजी मृतक खातेदार शौजीनाथ की विधवा पत्नि होने से कस्तूरीबाई को मिली है, ऐसे में वसीयत की गयी आराजी वसीयतकर्ता कस्तूरीबाई की स्वअर्जित सम्पत्ति ही मानी जावेगी। उपरोक्त विवेचन के अनुसार मृतक खातेदार कस्तूरीबाई द्वारा दि0 16.08.199 को अपने गोदपुत्र छीतरनाथ के पक्ष में की गयी वसीयत विधिनुसार होने से वादी वसीयत में अंकित आराजियात का खातेदार टीनेंट घोषित होने का अधिकारी है। इस प्रकार वादी ने इस तनकी को बखूबी साबित कराया है। ऐसे में यह तनकी वादी के पक्ष में एवं खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

4. आया वसीयत की जांच के बाद ही वादग्रस्त आराजी के संबंध में निर्णय किया जाना चाहिये ?

— प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। विस्तृत विवेचन के बाद तनकी सं0 1, 2, 3 वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। ऐसे में यह तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी ने अपने वाद को लिखित एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित कराया है। ऐसे में वादी, कस्तूरीबाई पत्नि शौजीनाथ जाति नाथ निवासी ढाणी द्वारा दिनांक 16.08.199 को निष्पादित वसीयत के अनुसार, वसीयत में वर्णित आराजियात का खातेदार टीनेंट घोषित होने का अधिकारी है।

अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा वादी छीतरनाथ पुत्र शौजी नाथ जाति नाथ निवासी ढाणी को ग्राम बोसर तह0 खानपुर की जमाबंदी सं0 2072–75 की खतौनी सं0 18 की ख0नं0 174/230 रकबा 1.04 बीघा, ख0नं0 175/236 रकबा 1.15 बीघा, ख0नं0 176/239 रकबा 4.02 बीघा, ख0नं0 177 रकबा 1.00 बीघा कुल 4 किता रकबा 8.01 बीघा, ग्राम बोसर की खतौनी सं0 19 की ख0नं0 176 रकबा 2.07 बीघा एवं ग्राम शिवनगर उर्फ ढाणी की

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

जमाबंदी सं0 2070–73 की खतौनी सं0 14 की ख0नं0 139 की 0.04 बीघा आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। खातेदार कस्तूरीबाई का नाम खाते से खारिज हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा याद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 16 /04/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner